Dispossal

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।

हकीयत वाद सं0–24 / 2016
Reg. No. 25/16

रामसागर ठाकुर एवं अन्य..वादीगण ।

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य..प्रतिवादीगण।

04.06.2024 उभय पक्ष की हाजरी है।

वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादी बिहार सरकार के विरुद्ध रिभिजनल सर्वे खतियान में बिहार सरकार का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया है जिसे सुधार करने हेतु यह वाद दाखिल किया गया है।

वाद पत्र का अवलोकन किया, अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह वाद वर्ष 2022 से बाद बिन्दु के गठन हेतु चला आ रहा था। इसी बीच न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.23 को वाद बिन्दु का गठन किया गया है। तत्पश्चात् वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करना था। वादी विगत तीन तिथियों से न तो साक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं और न अपने वाद के समर्थन में कोई कागजात दाखिल कर रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है ।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

Sangeeta Rani
अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
04.06.2024